17 (1)

No. 15012/1/82-Estt. (D)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Department of Personnel and Administrative Reforms
(Karmik Aur Prashasnik Sudhar Vibhag)

New Delhi, the 6th Sept., ~~August~~, 1983

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Age relaxation - Widows and women separated from their husbands for appointment in Group C and D posts.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 15012/13/79-Estt(D) dated the 19th January, 1980 on the above subject and to say that a question has been raised about the form of a certificate and authority issuing such certificate in support of a claim from a lady candidate for grant of age relaxation upto 35 years. It has been decided in consultation with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs that a lady candidate who claims age relaxation in terms of this Department's O.M. dated the 19th January, 1980 referred to above, shall be required to produce a certified copy of the judgment/decree of the appropriate court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be.

(I.S. AHLUWALIA)
DEPUTY SECY. TO THE GOVT. OF INDIA
Tele No.371225

To

1. All Ministries/Department including UPSC, Central Vigilance Commission, Minorities Commission.
2. The Comptroller and Auditor General of India New Delhi.
3. All Attached and subordinate offices of the M.H.A. and Department of Personnel and A.R.
4. All Sections of M/Home Affairs and Department of Personnel and A.R.
5. All Union Territories Administration.
6. All Staff Side Members of the National Council.

संख्या 15012/1/82-स्थापना(ब)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 4/6-9-1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- विधवाओं और अपने पतियों से अलग रह रही महिलाओं के लिए समूह "ग" और "घ" पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन से आयु में रियायत ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 19 जनवरी, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/13/79-स्थापना(ब) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयु में 35 वर्ष तक की रियायत दिए जाने के लिए किसी महिला उम्मीदवार से प्राप्त हुए दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र के रूप और ऐसे प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी के बारे में जानकारी मांगी गई है । विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श करके यह निर्णय किया गया है कि इस विभाग के दिनांक 19 जनवरी 1980 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनसार आयु में रियायत दिए जाने का अनुरोध करने वाली किसी महिला उम्मीदवार से यह अपेक्षित है कि वह तलाक अथवा न्यायिक अलगाव, जैसी भी स्थिति हो, साबित करने के लिए उपयक्त न्यायालय के निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तत करें ।

(आई0एस0अहलुवालिया)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नम्बर -371225

सेवा में,

1- संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग, अल्प संख्यक आयोग सहित सभी मंत्रालय/विभाग
2- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
3- गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
4- गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी अनुभाग ।
5- सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन ।
6- राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।